



## केन्द्रीय मुहर विभाग – 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 4566

02 12 2024

**विषय: IS 4566 : 2020 (मिथाइलीन क्लोराईड (डिक्लोरोमंथेन)— तकनीकी की विशिष्टि में संशोधन संख्या 2 का कार्यान्वयन।**

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 4566 : 2020 में संशोधन संख्या 2 प्रकाशित हो चुकी है IS 4566 : 2020 में संशोधन संख्या 2 के अनुपालन की अंतिम तिथि **18 अप्रैल 2025** है। सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 4566 : 2020 में संशोधन संख्या 2 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें और **18 अप्रैल 2025** तक इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(इंद्रजीत सिंह)  
वैज्ञानिक-डी (के मु वि-2)

**प्रमुख (के मु वि-2)**

सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित  
प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

### CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 4566

02 12 2024

**Subject: Implementation of Amendment No. 2 to Indian Standard 4566:2020 (Specification for Methylene Chloride (Dichloromethane) — Technical**

This is to inform to all concerned that Amendment No. 2 to IS 4566: 2020 has been published. Last date of implementation of the Amendment No. 2 to IS 4566: 2020 is **18 April 2025**. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment immediately and ensure its implementation by **18 April 2025**

(Inderjeet Singh)  
Scientist D (CMD-2)

**Head (CMD - 2)**

**Circulated to: All licensees/applicants  
Copy to: BIS Branch Offices**